S. No.	Name of the Indl. undertaking	Date from which management under the IDR Act was discontinued	No. of employees in the undertaking
1.	Carter Pooler & Co. Pvt-Limited	30-4-1983	400
2.	Containers & Closures Limited	28-10-1983	828
3.	Indian Rubber Mfrs. Limited	31-10-1983	572

(b) The Management under the IDR Act was discontinued as the undertakings continued to be non-viable inspite of the management and financial support given to them during the IDR Act management period. The track record during the IDR Act management period also indicated that there was no reasonable prospect of the undertakings becoming viable. The alternative solutions i.e. nationalisation, reconstruction, sale as a running concern or takeover by other healthy companies were not found feasible.

(d) According to the present policy guideline for sick industries, the industrial undertakings managed under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act 1951, are to be denotified if none of the alternative solutions for their final disposition is found feasible.

Special Allocation of Cement for Housing Scheme in Kerala

4762. PROF. P.J. KURIEN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Chief Minister of Kerala has asked for special allocation of cement for the special housing scheme being implemented in Kerala ; and

(b) if so, the quantity being released by the Centre and other relevant details ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI S. M. KRISHNA) : (a) The Chief Minister of Kerala in July, 1983 requested for additional special quota of cement to be utilised for works benefitting Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

(b) In anticipation of the likely increase in the availability of cement in the year 1983-84, the quarterly allocation of levy cement to the State had already been increased by 4,400 tonnes per quarter effective from Quarter-II (April-June) 1983. Availability of levy cement being limited, any further increase in the basic allocations of levy cement is not feasible at present. However, the position will be reviewed again and if availability of cement improves, the question of increase in the allocations could be considered.

Atomic Power Plant in Radhapuram Taluk of Tirunelveli

4763. SHRI K.T. KOSALRAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there was a proposal to set up an Atomic Power Plant in Radhapuram Taluk of Tirunelvali District for which proposals for acquisition of about 200 acres of land was also submitted to Government ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) and (b) A site at Kundankulam in Radhapuram Taluk of Tirunelveli District was suggested alongwith a number of other sites by Tamilnadu Government for setting up an atomic power station. The question of land acquisition will arise only after a final decision on the site is taken.

राज्यों में जातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता न दिया जाना

4764. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची में कुछ ऐसी भी जातियां हैं, जिन्हें केवल कुछ राज्यों में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उसके लिए क्या मानदंड अपनाये गए हैं ; और

(ख) क्या एकरूपता के आधार पर देश भर में इन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बराबर मांग की जाती रही है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) ऐसे समुदायों की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और अन्य राज्यों नहीं। ऐसे समदायों की अद्यतन राज्य-वार सूचि विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित चुनाव कानून पुस्तिका, 9वें संस्करण में दी है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विनिदेशन के लिए अपनाए गए मानदण्ड इस प्रकार है :

अनुसूचित जातियां

"छुआछात को पारम्पारिक प्रथा से उत्पन्न अत्याधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन"।

अनुसूचित जनजातियां

"प्राचीन विशेषताओं के संकेत, भिन्न संस्कृति, भौगोलिक पृथकता, स्वच्छन्द रूप से समाज के साथ सम्पर्क करने में शर्माना और पिछड़ापन"।

(ख) सम्पूर्ण देश में इन समुदायों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विनिर्देशन उस राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र, जो भी हो, के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) के अनुसार किया जाता है। इसके अगिरिक्त, किसी जाति/जनजाती को सामाजिक स्थिति अलग-अलग राज्य में अलग-अलग है और सम्पूर्ण देश में किसी जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में सामान्य बनाना उपयुक्त नहीं होगा। यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 संबंधी संयुक्त समिति द्वारा की गई टिप्पणी है, जिसकी एक प्रति संसद के दोनों सदनों में रखी जा चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए सारे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां समान आधार पर तैयार करना व्यावहार्य नहीं होगा।